फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

किशोरी पुत्र भौरया जाति मीना नि0 मुडियाखेडा तह0 सिकराय जिला दौसा

बनाम

राज0 सरकार जरिए तहसीलदार सिकराय तह0 सिकराय जिला दौसा ।

किस्म मुकदमा– प्रा0 पत्र अ0धा0 128 एल0आर0एक्ट मु0नं0– 88/2023

पीठासीन अधिकारी– श्री राकेश कुमार मीना (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.10.2023	प्रार्थना पत्र मिसल तलबी पेश किए जाने पर पत्रावली तलब की गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस प्रार्थना पत्र हेतु निवेदन किया जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता की बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि वाके रामा मुडियाखेडा पटवार हल्का नामनेर तह0 सिकराय जिला दौसा में स्थित है जिसके खसरा नम्बर 344/285, 346/285, 348/74, 351/72 एवं 79 है। जिस पर प्रार्थी कब्जाकाश्त कर मुस्तफिद फायदे उठाता चला आ रहा है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान करवा रखा है लेकिन उक्त भूमि के सीमाचिन्हों को जानवरों व बरसात की वजह से उक्त सीमाचिन्ह नष्ट हो चुके है। जिसके कारण सीमाचिन्ह नष्ट होने का नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थीगण की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने पर आमादा हो रहे है। इसलिए प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पत्थरगढी पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। बहस प्रार्थना पत्र का मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली में वर्णित उक्त भूमि में से खसरा नम्बर 344/285, 346/285, 348/74 तथा 79 का सीमाज्ञान तहसीलदार सिकराय के आदेश द्वारा दिनांक 21.06.2023 को किया जा चुका है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अ0धा0 128 एल0 आर0 एक्ट स्वीकार कर भूमि वाके रामा मुडियाखेडा पटवार हल्का नामनेर तह0 सिकराय जिला दौसा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 344/285, 346/285, 348/74 तथा 79 में पत्थरगढी कायम करने के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिए जाते है। तहसीलदार सिकराय उक्तानुसार पत्थरगढी किया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार सिकराय को पालना हेतु तहरीर जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)	